



श्री अशोक गहलोत  
मुख्यमंत्री, राजस्थान



श्रीमती ममता भूपेश  
मंत्री,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
बाल अधिकारिता एवं आयोजना विभाग  
राजस्थान

# मुख्यमंत्री राजश्री योजना

6 चरणों में 50,000 ₹ आर्थिक सहायता

## योजना के अन्तर्गत देय लाभ

- 1 जून 2016 को या उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाएं योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी।
- बालिका के जन्म पर 2,500 ₹ एवं उसके प्रथम वर्षगांठ पर 2,500 ₹।
- राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 ₹
- राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 और 10 में प्रवेश करने पर क्रमशः 5,000 ₹ एवं 11,000 ₹
- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25,000 ₹

- योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही का जनआधार कार्ड अनिवार्य है।
- लाभार्थी महिला राजस्थान की मूल निवासी हो।
- लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला एएनसी जांच के दौरान जनआधार कार्ड एवं जनआधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण निकटतम आंगनबाडी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाडी कार्यकर्ता अथवा राजकीय/अधिस्वीकृत अस्पताल में उपलब्ध करवाये।
- जिन लाभार्थी महिलाओं का जनआधार का नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से जनआधार कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाडी केन्द्र अथवा राजकीय/अधिस्वीकृत अस्पताल में विवरण उपलब्ध करवाये।

- तृतीय किस्त का लाभ बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर समस्त राजकीय विद्यालयों में देय है।
- शिक्षा विभाग द्वारा SOP जारी की गई है।
- इस हेतु सभी राजकीय विद्यालयों में आवेदन जमा करवाये जा सकते हैं।



## निदेशालय महिला अधिकारिता

महिला एवं बाल विकास विभाग

दूरभाष: 0141-5196452, [www.wcd.rajasthan.gov.in](http://www.wcd.rajasthan.gov.in)

